## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 28/2016 प्रा.पत्र/2016 | 16.03.2016 | 05.02.2024 |

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री तरूण कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द जैन जाति महाजन निवासी 49, शान्ती नगर एसबीआई बैंक की गली झिलाई रोड निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर मोक्ष धाम के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
2—मैसर्स श्री बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर मोक्ष धाम के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
3—श्री हेमराज जेन पुत्र श्री पारस जैन प्रोपरायटर मैसर्स पटेल साल्ट कनवैसिंग पटेल रोड निवाई जिला टोंक
4—मैसर्स पटेल साल्ट कनवैसिंग पटेल रोड निवाई जिला टोंक
5—श्री अनिल प्रोपरायटर मैसर्स श्री नमक उद्योग घाटाणी मार्केट, सांभर लेक जयपुर
6—मैसर्स श्री नमक उद्योग घाटाणी मार्केट, सांभर लेक जयपुर

.....अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री विकम जैन एवं श्री विजेन्द्र गोयल उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 05.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2015 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स श्री बालाजी डिपार्टमेन्टल स्टोर मोक्ष धाम के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री तरूण कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री तरूण कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में लगभग 20 पैकेट पेक्ड अवस्था में प्रत्येक 1 किलोग्राम पैक के **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री तरूण कुमार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री तरूण कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 04 एवं पैकिंग की दिनांक 04/2015 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1 किलोग्राम के चार पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** 1 किलोग्राम के चार पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1099 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1099 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री तरूण कुमार जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स पटेल साल्ट कनवैसिंग पटेल रोड निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा मैसर्स पटेल साल्ट से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री नमक उद्योग घाटाणी मार्केट, सांभर लेक जयपुर का वारन्टी बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4680 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./673/एक्ट/2015/891 दिनांक 27.11.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन एवं श्री विजेन्द्र गोयल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक (एडवान्स ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 40,000/— (अक्षर चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.02.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0